प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल याचिका सं० 5966/2021</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 5435/2020 से उत्पन्न)

अजय कुमार शुक्ला और अन्य ....अपीलार्थी (गण)

बनाम

अरविंद राय और अन्य .....प्रत्यर्थी (गण)

साथ में

<u>सिविल याचिका सं 5969 वर्ष 2021</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 8783/2020 से उत्पन्न)

आशीष कुमार श्रीवास्तव और अन्य .....अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजेश कुमार सिंह और अन्य .....प्रत्यर्थी (गण)

और

<u>सिविल याचिका सं 5967 वर्ष 2021</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 5706 ऑफ 2020 से उत्पन्न)

मनोज कुमार शुक्ला और अन्य .....अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजेश कुमार सिंह और अन्य .....प्रत्यर्थी (गण)

और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

<u>सिविल अपील सं. 5968 वर्ष 2021</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 5850 सन् 2020 से उत्पन्न)

महेश चंद्र बधनी और अन्य .....अपीलार्थी (गण)

बनाम

धर्मेंद्र सिंह और अन्य .....प्रत्यर्थी (गण)

<u>नि र्ण य</u>

मा० न्यायमूर्ति विक्रम नाथ।

1. मूल रिट याचिकाकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष) ने विशेष अपील संख्या 819 वर्ष 2019, **राजेश कुमार सिंह और एक अन्य बनाम राजीव नैन उपाध्याय और 24 अन्य** के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 04.12.2019 को पारित निर्णय और आदेश की शुद्धता को चुनौती देते हुए वर्तमान अपीलों को दायर किया है जिसके द्वारा खण्ड पीठ ने अपील की अनुज्ञात करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय एवं आदेश को अपास्त कर रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

<u>पृष्ठभूमिः</u>

2. उत्तर प्रदेश राज्य, लघु सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्य कर रहे अपीलकर्ता दिनांक 05.03.2010 की अंतिम वरिष्ठता सूची से व्यथित होकर रिट याचिका संख्या 53123 वर्ष 2012, **राजीव नैन उपाध्याय और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**, दायर कर उक्त निर्णय एवं आदेश दिनांकित 04.12.2019 को चुनौती दिया गया है। अपीलकर्ता, जो कि मूल रिट

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

याचिकाकर्ता है, मैकेनिकल और सिविल शाखा से हैं जबकि प्राइवेट प्रत्यर्थी कृषि शाखा से हैं।

3. मूल रूप से याचिका तब असफल हो गई जब वरिष्ठता सूची को चुनौती दी गई थी जिसका प्रकाशन 05.03.2010 को किया गया था। हालांकि, जब याचिका विचाराधीन थी तो उस समय संशोधन कर दिनांक 05.09.2006 को प्रकाशित पूर्व की वरिष्ठता सूची को भी चुनौती दिया गया था। उक्त संशोधन को अनुज्ञात कर दिया गया था। इस प्रकार, संशोधन के बाद जिस अनुतोष दावा किया किया गया था वह इस प्रकार हैः

"प्रार्थना"

इस रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना की गई है जो इस प्रकार हैः

माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है किः

i. मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई), उ.प्र. लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांकित 05.03.2010 और उसमें संलग्न वरिष्ठता सूची (रिट याचिका का अनुलग्नक 12) को खारिज कर परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें।

ii. प्रत्यर्थियों को आदेशित करते हुए उपयुक्त प्रकृति का एक रिट,आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें कि वह इस माननीय न्यायालय यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर उ.प्र. सरकार सेवक वरिष्ठता नियम 1998 से संगत संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रकाशित करें।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

iii. आक्षेपित कार्यालय आदेश के आधार पर कोई कार्रवाई करने से प्रत्यर्थी को रोकते हुए उपयुक्त प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें।

iv. जैसा माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में युक्तियुक्त और उचित समझें रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें।

v. वर्तमान रिट याचिका के दौरान याचिकाकर्ता को खर्चे का आदेश करने की कृपा करने करें।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में मूल प्रार्थना के बाद यह प्रार्थना जोड़ी गईः

निम्नलिखित प्रार्थनाओं को प्रार्थना सं. (i) के उपरान्त प्रार्थना सं. (ia) और (ib) के रूप में जोड़ा जा सकता है।

(क) वरिष्ठता सूची दिनांकित 5.9.2006 को रद्द कर अभिलेख का उत्प्रेषण की कृपा करें।

(ख) प्रत्यर्थियों को 5.9.2006 की वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रत्यर्थियों को कोई लाभ प्रदान कर परमादेश रिट जारी करने की कृपा करें।"

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 14.05.2019 को एक निर्णय और आदेश पारित कर दिनांक 05.09.2006 और 05.03.2010 की वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए रिट याचिका को अनुज्ञात कर दिया और आगे **उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक वरिष्ठता नियमावली, 1991** (संक्षेप में "नियम 199 1") के नियम 5 के अनुसार नई वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देशित करते हुए परमादेश रिट जारी किया। इसमें यह भी उपबंध था कि रिट याचिकाएँ विचाराधीनता के समय पदोन्नति की गई थी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जाएग, किन्तु यह नियमावली, 1991 के नियम 5 के अनुसार तैयार की जाने वाली नई वरिष्ठता सूची के अधीन रहेगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित आधार अभिलिखित किये हैं जो इस प्रकार हैंः

(क) सुसंगत नियमों और वरिष्ठता के निर्धारण की योजना की जांच करने के बाद, यह अभिलिखित किया गया था कि मौजूदा वरिष्ठता सूची न केवल सिविल और यांत्रिक शाखा से संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं के हित के लिए पूर्वाग्रह कारित करेगी, बल्कि उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को भी प्रभावित करेगी।यह पूरे विभाग के प्रशासन और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का अनुच्छेद 21 नीचे पुनः उद्धृत किया जाता हैः

> 21. ऊपरोक्त परिदृश्य न केवल सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखासे संबंधित जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित कर उनके हितों के लिए न केवल पूर्वाग्रह होगा, बल्कि विभाग द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।"

(ख) विलम्ब और देरी से ग्रस्त याचिका के संबंध में मूल रिट याचिका पर प्रतिवादियों द्वारा की गई आपत्ति पर विस्तृत रूप से विचार किया गया। इस बिंदु पर विधि को व्यापकता से विचार करने के उपरान्त यह अभिलिखित किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां वरिष्ठता विवादित हो वहां तीन से चार वर्ष की देरी घातक नहीं होगी। **शिबा शंकर महापात्र बनाम उड़ीसा राज्य**[1] के निर्णय का अवलम्ब लेकर यह अवधारित किया गया था कि वर्तमान मामले में, कोई विलम्ब या देरी

1 (2010) 12 एस.सी.सी. 471

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नहीं हुई थी। यह भी अभिलिखित किया गया कि एक बार वरिष्ठता निर्धारण को इस आधार पर गंभीर चुनौती दिया गया था कि वरिष्ठता सूची को नियमानुसार तैयार किया गया था, रिट याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाना जरूरी था।

(घ) एक ही चयन से संबंधित आयोग द्वारा तीन अलग–अलग सूचियां अग्रेषित की गई थीं और इसलिए, तीन सूचियों में से उम्मीदवारों की एक सामान्य आन्तरिक मेरिट तैयार की जानी चाहिए थी और तदनुसार वरिष्ठता तय की जानी चाहिए थी। ई) सक्षम प्राधिकारी और राज्य ने केवल एक ही चयन से उत्पन्न तीन चयनित सूचियों की प्राप्ति की तारीख के आधार पर वरिष्ठता सूची का निर्धारण करके कानून की एक गंभीर त्रुटि कारित किया। इस तरह की कार्रवाई का न तो कानून में समर्थन किया जा सकता है और न ही तथ्यों पर और न ही वरिष्ठता निर्धारित करने के कार्य को ऐसी आकस्मिक परिस्थिति पर छोड़ा जा सकता है।

(च) चयन सूची के प्रेषण की तारीख, कल्पना के किसी भी खंड द्वारा वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए एक निर्धारित कारक नहीं हो सकती है। सक्षम प्राधिकारी और राज्य ने नियमावली, 1991 में निहित विशिष्ट प्रावधानों के विपरीत काम किया है। जैसे कि उनकी कार्रवाई मनमानी है और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की संवैधानिक भावना के विरूद्ध भी है।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को इन्ट्रा कोर्ट अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है जो विशेष अपील संख्या 819/2019 के रूप में पंजीकृत है। खण्ड़पीठ ने दिनांक 04.12.2019 को फैसले और आदेश पारित कर विद्वान

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

एकल न्यायधीश के फैसले को को रद्द कर दिया और अपील खारिज दी। इस फैसले ने अनेक रिट याचिकाओं को जन्म दिया है। खण्ड़पीठ ने उक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित कियेः

(क) मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने में असाधारण देरी हुई क्योंकि 2006 की वरिष्ठता सूची, जो 2009 की वरिष्ठता सूची का आधार बनी थी, जिसको उचित समय के भीतर चुनौती नहीं दी गई थी।

(ख) मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 05.09.2006 की अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दी है, मुख्य रूप से उसी को स्वीकार किया है जैसे कि उनके दावे को अधिग्रहण के सिद्धांत द्वारा रोक दिया जाएगा।

(ग) सभी प्रभावित कनिष्ठ अभियंताओं को पक्षकार नहीं बनाया जाना आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के सिद्धांत के आधार पर घातक होगा।

(घ) चयन/नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले अपीलकर्ता बाद में चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि इस चुनौती से विबंध और मौन सम्मति के सिद्धांत प्रभावित हो जाएगा।

ई) विद्वान एकल न्यायाधीश नियमावली, 1991 के नियम 5 के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश सही नहीं था क्योंकि नियम 8 ही लागू होगा न कि नियम 5।

तथ्यः

6. अपील के इस शाखाके न्यायनिर्णयन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैंः

(क) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग दिनांक 18.06.1998 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "आयोग") को लघु सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के 206 पदों की भर्ती के लिए अधियाचन

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

भेजा। इन पदों को क्रमशः 50:30:20 के अनुपात में कृषि, मैकेनिकल और सिविल शाखामें विभाजित किया गया था।

(ख) आयोग ने कनिष्ठ अभियंताओं के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 1998–1999 का विज्ञापन सं. 3 जारी किया। परीक्षा प्रक्रिया दो स्तरों में थी एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो दिनांक 18.10.1998 को आयोजित किया गयी थी और इस स्क्रीनिंग टेस्ट को अर्हता प्राप्त करने के बाद, आयोग द्वारा एक साक्षात्कार आयोजित किया जाना था। स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम दिनांक 06.01.1999 को घोषित किया गया था और उसके बाद, कृषि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा दिनांक 07.06.1999 से दिनांक 26.06.1999 तक साक्षात्कार आयोजित किए गए थे।जहां तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों का प्रश्न था, उनके साक्षात्कार दिनांक 24.06.1999 से 02.07.1999 के बीच आयोजित किए गए थे और अंत में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के साक्षात्कार दिनांक 07.07.1999 से 22.12.1999 के बीच आयोजित किए गए थे।परिणामों को अंतिम रूप देने के बाद, आयोग ने तीन अलग–अलग चयन सूचियों को राज्य सरकार के लघु सिंचाई विभाग को भेज दियाः

(i) दिनांक 28.09.1999 को, कृषि इंजीनियरिंग से संबंधित उम्मीदवारों की चयन सूची;

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ii) दिनांक 06.01.2000 को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित उम्मीदवारों की चयन सूची और,

(iii) अंत में दिनांक 07.11.2000 को, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित उम्मीदवारों की चयन सूची।

<u>नोटः</u> विभाग को अग्रेषित की गई तीन सूचियों की तिथियों के बारे में कुछ विसंगति है। आयोग ने अपने द्वारा दायर हलफनामों में अलग –अलग तारीखें बताईं हैं।हालांकि, तथ्य यह है कि तीन अलग–अलग शाखाकी सूची भेजने का क्रम उसी क्रम में कृषि, यांत्रिक और सिविल है। उनमें से एक शपथपत्र में कृषि, मैकेनिकल और सिविल जूनियर इंजीनियरों के लिए 06.01.2000,27.01.2000 और 07.11.2000 तीन तिथियां दी गईं हैं। एक अन्य हलफनामे में यह उसी क्रम में 28.09.1999,06.01.2000 और 07.11.2000 दी गईं हैं।इसके बाद हमने इन तारीखों को क्रमशः 28.09.1999,06.01.2000 और 07.11.2000 विचारित किया है।

(ग) आयोग द्वारा अग्रेषित उपरोक्त तीनों चयन सूचियों के आधार पर , नियुक्ति पत्र 08.10.2001 को जारी किए गए थे। नियुक्ति पत्र से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वरिष्ठता के संबंध में यह मुद्दा बाद में तय किया जाएगा। दिनांक 08.10.2001 को जारी नियुक्ति पत्रों के अनुसार , याचिकाकर्ता और प्राइवेट प्रत्यर्थी ने ज्वाइन कर लिया था।

(घ) वर्ष 2006 में, 01.01.1989 के बाद नियुक्त सभी कनिष्ठ अभियंताओं के संबंध में दिनांक 17.03.2006 के कार्यालय आदेश की एक अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी। बाद में, कार्यालय के आदेश दिनांक 05.09.2006 को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई।उक्त कार्यालय

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आदेश के अंतिम वाक्य में लिखा है कि आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता को उनकी योग्यता के क्रम में रखा गया है।

(ड) विभाग ने वर्ष 2009 में वरिष्ठता सूची तैयार करने की एक नई कवायद की क्योंकि पहली बार लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं से संबंधित नियम बनाए गए थे।इन नियमों का संदर्भ कुछ समय बाद दिया जाएगा।

(च) तदनुसार, अनंतिम वरिष्ठता सूची कार्यालय आदेश दिनांक 29.12.2009 को आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी। प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया था और कार्यालय के आदेश दिनांक 05.03.2010 को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित किया गया था। कार्यालय आदेश दिनांकित 05.03.2010 के अनुच्छेद 11 के बाद वाले प्रस्तर में, यह संदर्भ दिया गया था कि आयोग ने को तीन अलग –अलग सूचियाँ यानी दिनांक 2–28–09–1999 को कृषि संकाय, दिनांक 06–01–2000 को मैकेनिकल संकाय और दिनांक 07–11–2000 को सिविल संकाय से संबंधित सूची प्रेषित की थीं।

(छ) विभाग ने तीनों सूचियों के उम्मीदवारों को एक ही अनुक्रम में रखा था क्योंकि उन्होंने संबंधित सूचियों में वरिष्ठता प्राप्त किया गया था। उदाहरण के तौर पर, आयोग द्वारा अग्रेषित यदि कृषि शाखामें 30 उम्मीदवार होते, तो उन सभी उम्मीदवारों को क्रम सं. 1 से 30 उसी क्रम में उनके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर शीर्ष पर रखा जाता, यदि 20 उम्मीदवार मैकेनिकल सूची में होते तो उन्हें आयोग द्वारा उसी सूची में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर क्रम संख्या 31 से 50 में कृषि शाखा के नीचे रखा जाता और, यदि सिविल शाखा में 50 उम्मीदवार होते, तो उन्हें उसी क्रम में मैकेनिकल से नीचे क्रम सं. 51 से 100 में रखा जाता। जैसा कि किया गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ज) दिनांक 05.03.2010 को अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद ही वरिष्ठता सूची तैयार करने की इस विधा के बारे में अपीलकर्ताओं को पता चला क्योंकि इससे पहले वे इस विश्वास में थे कि विभाग ने आयोग द्वारा प्रेषित चयन और परिणाम के मुताबित उस विषय में तीनों शाखाों के बीच वरिष्ठता सूची तैयार की थी। इस प्रकार उन्हें तीनों शाखाों अर्थात कृषि, मैकेनिकल और सिविल की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परस्पर योग्यता पर विचार करके वरिष्ठता सूची को सही करने के लिए अभ्यावेदन करने के लिए मजबूर किया गया था और तीनों शाखाकी चयन सूची प्राप्त होने के क्रम में वरिष्ठता सूची तैयार आदेश के बजाय आयोग द्वारा अग्रेषित किया गया। जब उनके अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं दिया गया तो अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका संख्या 53123/2012 दायर कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

(झ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका की अनुज्ञात कर दिया था जबकि खण्ड पीठ इस रिट याचिका को खारिज कर दिया था परिणामस्वरूप वर्तमान अपील दायर की गईं हैं।

<u>वैधानिक प्रावधान: नियमावली</u>

7. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए सुसंगत नियमों की एक व्यापक रूपरेखा को संदर्भित किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सर्वप्रथम सर्वाधिक सुसंगत नियमावली, 1991 बनायी गई थी जो उस समय अस्तित्व में थी जब वर्ष 1998–1999 में अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थियों का चयन किया गया था। उक्त नियमावली का भाग ।। वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है। इसका नियम 5 में वरिष्ठता का उपबंध करता है जहां

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जाती हैं। उक्त नियम को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> "5. जहां नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जाती हैं वहां वरिष्ठता – जहां सेवा नियमों के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हैं, किसी चयन के परिणाम आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के बीच की वरिष्ठता वही होगी जैसा कि आयोग या समिति द्वारा तैयार मेरिट सूची में प्रदर्शित किया गया है, जैसा मामला हो।
>
> प्रतिबंध यह है कि सीधी भर्ती द्वारा चयनित उम्मीदवार अपनी वरिष्ठता खो सकता है, यदि वह वैध कारणों के बिना उस समय ज्वाइन करने में विफल रहता है जब उसे रिक्ति की पेशकश की जाती है, तब उन कारणों की वैधता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। इसके अतिरिक्त प्रतिबंध यह है कि उत्तरवर्ती चयन के परिणाम पर जिनकी नियुक्त हुई है वह व्यक्ति पूर्व चयन के परिणाम पर नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ माना जाएगा।
>
> स्पस्टीकरण.– जहां एक ही वर्ष में, नियमित और आपातकालीन भर्ती के लिए अलग–अलग चयन किया जाता हैं वहां नियमित भर्ती के लिए चयन को पूर्व चयन माना जाएगा।"

8. उपरोक्त प्रावधान का सरसरी तौर पर पढ़ने से यह निर्धारित हो जाता है कि किसी चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों की बीच की वरिष्ठता , यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगी। आयोग से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है और समिति से अभिप्रेत नियुक्ति के लिए चयन करने के लिए गठित समिति से है। वर्तमान मामले में, आयोग ने ही चयन किया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

9. नियमाावली, 1991 के नियम 8 में वरिष्ठता सूची तैयार करने संबंधी प्रावधान है जहां नियुक्तियां और पदोन्नति दोनों सीधी भर्ती द्वारा की गई थीं। उक्त नियम इस प्रकार हैः

> जहां पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं वहां वरिष्ठता
> (1) जहां सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, वहां नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, उनकी मूल नियुक्तियों के आदेश की तारीख से अवधारित की जाएगी और यदि दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति एक साथ उस क्रम में की जाती है जिसमें उनके नामों की व्यवस्था नियुक्ति आदेश में की गई हैः
>
> बशर्ते कि यदि नियुक्ति आदेश किसी विशेष पूर्ववर्ती तिथि को बताता है , जिसके प्रभाव से किसी व्यक्ति को पर्याप्त रूप से नियुक्त किया जाता है, तो उस तारीख को मूल नियुक्ति के आदेश की तारीख माना जाएगा और अन्य मामलों में, इसका अर्थ होगा कि आदेश दिया जाएः
>
> इसके अतिरिक्त प्रतिबंध यह है कि सीधे भर्ती किया गया उम्मीदवार अपनी वरिष्ठता खो सकता है, यदि वह वैध कारणों के बिना ज्वाइन करने में तब विफल रहता है जब उसे रिक्ति प्रस्तावित की जाती है, किन्तु उस कारण की वैधता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
>
> **(2) किसी चयन के परिणाम पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता अंतर –**
>
> **(क) सीधी भर्ती के माध्यम से, यथास्थिति, वही होगा जो आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में दिखाया गया है।**
>
> (बी) पदोन्नति द्वारा, नियम 6 या नियम 7 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, यथास्थिति, पदोन्नति एकल कैडर अथवा अनेक कैडर की जानी है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(3) जहां नियुक्तियां किसी एक चयन के परिणाम पर पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा की जाती हैं, सीधी भर्ती में पदोन्नति की वरिष्ठता एक चक्रीय क्रम में (प्रथम पदोन्नति होने के नाते), जहां तक हो सके, दो स्रोतों के लिए निर्धारित कोटा के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

<u>दृष्टांत</u>

(1) जहां पदोन्नति और सीधी भर्ती का कोटा 1 के अनुपात में हैःवरिष्ठता निम्नलिखित आदेश में होगी –

पहला पदोन्नत

द्वितीय सीधी भर्ती भर्ती

और इसी तरह,

(2) जहां उक्त कोटा 1 के अनुपात में हैःवरिष्ठता निम्नलिखित आदेश में होगी –

पहला पदोन्नत

द्वितीय से चतुर्थ सीधी भर्ती

पांचवां प्रपदोन्नत

छठा सीधी भर्ती

छः से आठ धी भर्ती

और इस प्रकार हैः

बशर्ते –

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(i) जहां नियुक्ति किसी स्रोत से निर्धारित कोटा से अधिक की जाती है, कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को वरिष्ठता के लिए, बाद के वर्ष या वर्षों में उस कोटे में डाल दी जाएगी जहां कोटे के मुताबिक रिक्तियां मौजूद होगी।

(ii) जहां किसी भी स्रोत से नियुक्तियां निर्धारित कोटा से कम हो जाती हैं और ऐसी अधूरी रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति बाद के वर्ष या वर्षों में की जाती है , इसलिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी पिछले वर्ष की वरिष्ठता नहीं मिलेगी, लेकिन उस वर्ष की वरिष्ठता प्राप्त होगी जिसमें उनकी नियुक्तियां की गईं हैं, तब उनके नाम अन्य नियुक्तियों के चक्रीय क्रम में नामों के बाद शीर्ष पर रखे जाएंगे।

(iii) जहां सेवा नियमों के अनुसार, किसी भी स्रोत से अपूर्ण रिक्तियां, संबंधित सेवा नियमों में उल्लिखित परिस्थितियों में दूसरे स्रोत से भरी जा सकती हैं और कोटा से अधिक में नियुक्ति की जाती है, तब नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उसी वर्ष की वरिष्ठता प्राप्त होगी जैसे कि वे अपने कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त किए गए हैं।"

10. उपरोक्त नियम को सेवा में प्रयोग किया गया है जहां सीधी भर्ती और पदोन्नति की संयुक्त सूची तैयार की जानी है। हालाँकि, यहां तक कि यह नियम उप–नियम 2 (ए) में स्पष्ट रूप से उपबंधित करता है कि सीधी भर्ती के माध्यम से किसी भी चयन के परिणाम जारी होने पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता में अंतर वही होगी जैसा कि आयोग द्वारा या समिति द्वारा,यथास्थिति, तैयार की गई मेरिट सूची में उल्लेख किया गया है। जो भाषा प्रयोग की गई है तथा जिस रीति का उपबंध किया है वह प्रयुक्त नियम 5 की तरह है जहां पर केवल सीधी भर्ती की वरिष्ठता सूची पर विचार किया जाता है।

11. नियमावली, 1991 का भाग III वरिष्ठता सूची तैयार करने से संबंधित है। नियम 9 के अनुसार, जैसे ही नियुक्तियां की जाती हैं, नियुक्ति प्राधिकारी एक अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार करेगा, वही आपत्तियों को आमंत्रित करने वाले

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संबंधित व्यक्तियों के बीच प्रसारित किया जाएगा।नियुक्ति प्राधिकारी, आपत्तियों का निपटारा करने के बाद, अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करेगा। नियम 9 यहां पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः

> "9. वरिष्ठता सूची तैयार करना–
>
> (1) जैसे ही किसी सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं, नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा में पर्याप्त रूप से नियुक्त व्यक्तियों की एक अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार करेगा।
>
> (2) अस्थायी वरिष्ठता सूची उचित अवधि की सूचना द्वारा आपत्तियों को आमंत्रित करने वाले संबंधित व्यक्तियों के बीच परिचालित की जाएगी, जो अस्थायी वरिष्ठता के प्रचलन की तारीख से सात दिनों से कम नहीं होगी।
>
> (3) इन नियमों के वैधता के विरूद्ध कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
>
> (4) नियुक्ति प्राधिकारी तर्कसंगत आदेश द्वारा आपत्ति का निपटारा करने के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करेगा।
>
> (5) उस शाखाकी वरिष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा जिसमें नियुक्तियां केवल एक ही शाखासे प्रोन्नति द्वारा की जाती हैं।

12. वर्ष 2009 में, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत पुनः **उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2009** (संक्षेप में नियमावली, 2009) तैयार की गई थी। नियमावली, 2009 का भाग V में भर्ती की प्रक्रिया का उपबंध किया गया जिसमें नियम 14 से 17 शामिल थे। नियम 15 (4) उपबंध करता है कि आयोग लिखित परीक्षा के साथ–साथ साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की कुल संख्या के अनुसार अपनी प्रवीणता के क्रम में उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और तदनुसार ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा जिनकों वे नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानते हैं। उक्त सूची

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तैयार करने के बाद, आयोग इसे नियुक्ति प्राधिकरण को भेज देगा।नियम 15 के उप–नियम (5) में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि इंजीनियरिंग की एक से अधिक शाखाओं में भर्ती की जा रही थी , तो ऐसे मामलों में, आयोग उम्मीदवारों की एक संयुक्त चयन सूची तैयार करना चाहिए था, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट होता है और उसी सूची को नियम 15 (4) के तहत अग्रेषित सूची के अलावा नियुक्ति प्राधिकारी को भी भेजेगा।नियमावली, 2009 के नियम 14–17 नीचे दिए गए हैं:–

<u>नियम 14 रिक्तियों का निर्धारणः</u>

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या निर्धारित कर आयोग को सूचित करेगा और नियम 6 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करेगा।।

<u>नियम 15 सीधी भर्ती के लिए प्रक्रियाः</u>

(1) प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति के लिए आवेदन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह आयोग द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण पत्र धारण नहीं करता है।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध होने के बाद, आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में, साक्षात्कार के लिए उतने उम्मीदवारों को बुलाएगा, जितना इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक किए गए हैं।साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(4) आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग द्वारा प्रकट की गई उनकी प्रवीणता के क्रम में उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा और इतनी संख्या में उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा जितनी वे नियुक्ति के आदेश उपयुक्त समझते हैं। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो लिखित परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाम सूची में उच्च रखा जाएगा।यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार लिखित परीक्षा में भी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम सूची में उच्च रखा जाएगा।आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रेषित करेगा।

(5) यदि भर्ती नियम 5 की धारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति इंजीनियरिंग की एक से अधिक शाखाओं में की जा रही है, तो ऐसे आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की कुल संख्या के अनुसार प्रवीणता के क्रम में उम्मीदवारों की एक संयुक्त सूची भी तैयार करेगा और उप नियम (4) के तहत सूची के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को भी प्रेषित करेगा।

<u>नियम 16 पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया</u>

पदोन्नति द्वारा भर्ती समय –समय पर संशोधित लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के साथ परामर्श में चयन द्वारा उत्तर प्रदेश पदोन्नति के अनुसार अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।

<u>नियम 17 संयुक्त चयन सूची</u>

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सूची में इस प्रकार नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी कि निर्धारित प्रतिशत बना रहे।नियम 21 वरिष्ठता

सेवा में किसी भी श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकार के सेवक वरिष्ठता नियमवली, 1991 के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

13. उपरोक्त के अलावा, नियम 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पर्याप्त रूप से नियुक्त सभी व्यक्तियों की वरिष्ठता नियम 1991 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।उक्त नियमावली, 2009 का एक अन्य प्रासंगिक पहलू यह था कि तीनों शाखाएं अर्थात कृषि, सिविल और मैकेनिकल मिलकर अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा का एक शाखाबनाएंगी। नियम 21 यहां पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः

<u>नियम 21 वरिष्ठता</u>

> सेवा में किसी भी श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकार के सेवक वरिष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है।

14. लघु सिंचाई विभाग के नियमावली, 2009 से पहले, वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली, 1991 सृजित अन्य नियमों का संग्रह मौजूद था। ये नियम विभाग के सहायक, कार्यकारी, अधीक्षक और मुख्य अभियंता की भर्ती से संबंधित थे, लेकिन कनिष्ठ अभियंता की भर्ती से संबंधित नहीं थे। जैसा कि इन नियमों का संदर्भ याचिका में दिया गया है , उनका उल्लेख किया गया है, लेकिन यह बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकता है।

15. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ दवे और सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है।निजी प्रत्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील, श्री गोपाल शंकरनारायणन और विद्वान अधिवक्ता, श्री रोहित स्टालेकर ने अदालत को संबोधित किया है।उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता और आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपने–अपने तर्क प्रस्तुत किया है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

<u>अपीलकर्ताओं का मामलाः</u>

16. अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित तर्क दिया हैंः

(क) अपीलकर्ताओं की ओर से न्यायालय आने में कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने पहली बार 2010 में सीखा था जब अंतिम वरिष्ठता सूची 05.03.2010 को प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा अग्रेषित तीन अलग–अलग चयन सूचियां थीं और ऐसी चयन सूची प्राप्त होने की तारीख के आधार पर, वरिष्ठता सूची तैयार की गई है, जो वैधानिक नियमों के विपरीत थी।

ख) चूंकि 1991 की वरिष्ठता नियमावली एवं नियमावली 2009 के विपरीत वरिष्ठता सूची बनाने में निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौती दी गयी थी, इसलिए यह कहा गया था कि सभी प्रभावित अभियंताओं को संयोजन करना जरूरी नहीं था।वास्तव में ऐसे प्रभावित अभियंताओं में से 18 को पहले से ही रिट याचिका में संयोजित किया गया था और इसलिए, सभी प्रभावित कनिष्ठ अभियंताओं के लिए, उनके हितों का पहले से ही प्रतिनिधित्व किया गया था।

(ग) वर्ष 2009–2010 की दूसरी वरिष्ठता सूची तैयार की जानी थी क्योंकि नियमावली, 2009 प्रवर्तन में थी जिसके लिए एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता थी।यदि नई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाती है तो पहले की वरिष्ठता सूची अपना महत्व खो देगी।पश्चातवर्ती वरिष्ठता सूची को उचित अवधि के भीतर चुनौती दी गई थी। इस प्रकार प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विलम्ब के तर्क में कोई बल नहीं है।

<u>प्रत्यर्थियों का मामलाः</u>

17. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया हैः

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(क) यह कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं यानी अपीलकर्ताओं ने असाधारण विलम्ब कर अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इसलिए, उनका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता और उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने उक्त निवेदन को सही ठहराया।

(ख) उन्होंने खण्ड़पीठ द्वारा अभिलिकित किए गए कारणों के लिए खण्ड़पीठ के फैसले को सही ठहराने की मांग की;

(ग) मेरिट के आधार पर यह निवेदन किया जाता है कि वरिष्ठता सूची नियमावली, 1991 और नियमावली, 2009 के अनुसार तैयार की गई थी।

(घ) वर्ष 2006 या 2010 की वरिष्ठता सूचियों को तैयार करने में किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।

<u>चर्चाः</u>

18. यह स्वीकृत है कि तीन शाखा यानी कृषि, मैकेनिकल और सिविल के लिए एक ही चयन था। यह भी तथ्य स्वीकार किया जाता है कि लघु सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की एक शाखा है और इसलिए, कनिष्ठ अभियंताओं की एक वरिष्ठता सूची होनी चाहिए। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में दो प्रश्नपत्र शामिल थे, जिसमें से एक सभी शाखा के लिए अनिवार्य था और दूसरा प्रश्नपत्र इंजीनियरिंग तीनों शाखाों कृषि, मैकेनिकल या सिविल के लिए था। वास्तव में, एक परीक्षा थी। इसके बाद, साक्षात्कार आयोजित किए गए। आयोग ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर दिनांक 07.04.2019 और 13.05.2019 के अपने हलफनामों में स्पष्ट रूप से कहा था कि एक परीक्षा के लिए एक चयन था। हालांकि, कुछ मुकदमेबाजी और उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रोक के कारण सिविल इंजीनियरिंग की शाखा की सूची लगभग 10 से 11 महीने बाद प्रेषित की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

गई थी। आयोग ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने पूरक प्रति–शपथ पत्र में यह भी स्वीकार किया कि उसने तीनों शाखाकी संयुक्त मेरिट सूची तैयार नहीं की थी, बल्कि इसे तैयार करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी पर छोड़ दिया था। यथार्थता के उद्देश्यों से आयोग की ओर से दायर पूरक प्रति –शपथपत्र दिनांकित 07.04.2019 के पैराग्राफ 6,8,9 और 10 नीचे उद्धृत किया जाता हैंः

> "6. यह उल्लेखनीय है कि सिविल शाखा में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया के दौरान, माननीय न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 066 वर्ष 2000, सियाराम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दिनांक 01.11.2000 को स्टे आदेश पारित किया गया था और इसलिए दिनांक 01.03.2000 के आदेश के अनुपालन में, अनुशंसा विलंब से अर्थात 07.11.2000 को विभाग को भेजी गई थी।
>
> xxx xxx xxx
>
> 8. चूंकि तीनों शाखाओं के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अलग थी, अलग से इसलिए भर्ती की गई थी और उसके बाद विभाग को चयनित उम्मीदवारों के संबंध में सूची/सिफारिशें अलग से भेजी गई थीं।
>
> 9. इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया जाता है कि कनिष्ठ अभियंता के पद पर भर्ती दो मुख्य स्रोतों अर्थात सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति से की जाती है, इसलिए अंतर–वरिष्ठता सूची को उ.प्र. सरकार सेवक वरिष्ठता नियमावली, 1991 के नियम 8 के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता सूची को केवल लघु सिंचाई विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और लघु सिंचाई विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची तैयार करने में प्रत्यर्थी की कोई भूमिका नहीं है।
>
> 10. इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया जाता है कि कनिष्ठ अभियंताओं की वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रकाशित करना संबंधित विभाग का काम है

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और यदि कोई विसंगति होती है, तो संबंधित विभाग इसका स्पष्टीकरण दे सकता है।

19. आयोग द्वारा दायर द्वितीय पूरक प्रति–शपथपत्र दिनांकित 3.05.2019 का प्रस्तर 3 से 7 निम्नवत हैंः

"3. इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया जा सकता है कि तीन शाखाओं अर्थात कृषि, सिविल और यांत्रिक के लिए लघु सिंचाई विभाग द्वारा 50:30:20 के अनुपात में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती के लिए मांग के आधार पर, उत्तरदाता प्रत्यर्थी ने विज्ञापन संख्या 3/1998–99 जारी किया, जिसमें संबंधित शाखा में अपेक्षित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

4. यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि तीनों शाखाएँ अर्थात सिविल, यांत्रिक और कृषि के लिए चयन की प्रक्रिया समान थी। दिनांक 18–10–1998 को एक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित की गई थी और उसके बाद नियमों और विनियमों के अनुसार अर्ह उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

5. यह कि उन उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था जिनको कृषि, सिविल और यांत्रिक शाखा के संबंध में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और साक्षात्कार आयोजित किया गया था और उक्त तीन शाखाओं में से उम्मीदवारों का चयन उन रिक्तियों के सापेक्ष किया गया था जो कृषि और यांत्रिक शाखा में उपलब्ध थे और चयन सूचियों को क्रमशः और 06.01.2000 और 28.09.1999 को विभाग को भेजा गया था।

6. यह उल्लेखनीय है कि सिविल शाखा में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया के दौरान, स्टे आदेश दिनांक 1.03.2000 इस की लखनऊ पीठ द्वारा पारित किया गया था। माननीय न्यायालय ने रिट

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

याचिका संख्या संख्या 66 वर्ष 2000, सियाराम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दिनांक 01.03.2000 के आदेश के अनुपालन में अनुशंसा को विलंब से 07.11.2000 को विभाग को भेजा था।

7. यह कि आगे, आयोग तीनों शाखाओं की मूल मार्कशीट, मेरिट सूची आदि के लिए चयन प्रक्रिया के अभिलेखों का पता लगाने में सक्षम रहा है और निर्देश होने पर आयोग उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति में है।

20. नियुक्ति प्राधिकारी ने वास्तव में आयोग द्वारा अग्रसारित तीन चयन सूचियों को एक के बाद एक अलग–अलग तिथियों पर तीन चयन सूची प्राप्त करने की तिथि के अनुसार रखकर वरिष्ठता सूची तैयार करने के तरीके में त्रुटि की है ।यह निजी प्रत्यर्थियों, राज्य या आयोग में से किसी का भी मामला नहीं है कि नियुक्ति पत्र अलग–अलग जारी किए गए हैं और जब चयनित सूचियां प्राप्त हुई थीं। दरअसल नवंबर 2000 में सिविल शाखा की तीसरी सूची मिलने के करीब 10 से 11 महीने बाद तीनों शाखा के नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2001 में जारी किए गए थे। प्रत्यक्ष रूप से एक निरीक्षण के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष 1991 के वरिष्ठता नियमों के तहत आवश्यक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने में विफल रहा, चाहे वह अपीलकर्ताओं और निजी–प्रत्यर्थियों के चयन के संबंध में नियम 5 या नियम 8 हो।

21. अब हम न्यायालय में आने में देरी और विशेष रूप से वरिष्ठता सूची को चुनौती देने के मुद्दे पर कानून पर चर्चा कर सकते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने **शिबा शंकर महापात्र बनाम उड़ीसा राज्य (सुप्रा)** के मामले में इस न्यायालय के के निर्णय का अवलम्ब लिया था। **माननीय न्यायमूर्ति डॉ. बी.एस. चौहान**, ने लम्बे समय से चली आ रही वरिष्ठता के बावजूद देर से दायर याचिका पर सुनवाई के प्रश्न पर विचार करने के बाद संविधान पीठ के फैसलों सहित एक दर्जन से

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अधिक मामलों पर चर्चा कर अंततः पैरा 30 में अवलोकन कि वरिष्ठता सूची जो तीन से चार साल से अधिक समय से बिना चुनौती के अस्तित्व में है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 में यह भी कहा गया है कि यदि कोई तीन चार साल बाद वरिष्ठता के मुद्दे पर आपत्ति करता है, तो समुचित मंच पर इस देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। अनुच्छेद 30 नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा हैः–

> "30. इस प्रकार, उपरोक्त के दृष्टिगत, सुस्थापित विधिक प्रस्थापना यह है कि एक बार वरिष्ठता तय हो जाने के बाद और यह एक उचित अवधि के लिए अस्तित्व में रहता है, उसके लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।केआर मुद्गल में, इस न्यायालय ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक वरिष्ठता सूची जो 3 से 4 साल तक अप्रकाशित रहती है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए।इस प्रकार , वरिष्ठता को चुनौती देने के लिए 3–4 वर्ष अवधि उचित है और यदि कोई इस अवधि से परे वरिष्ठता के मुद्दे पर आपत्ति करता है, तो उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके, सहायक मंच से संपर्क करने में देरी की व्याख्या करनी होगी।"

22. दूसरी ओर, खण्ड़पीठ ने देरी के आधार पर अपीलकर्ताओं को जवाब न देकर इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का अवलम्ब लिया।

- **दयाराम असनंद गुरसहानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** [2]
- **बी. एस. बजाज और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य** [3]
- **लारेंस सेसिल डिसूजा बनाम भारत संघ और अन्य** [4]

---

2 (1984) 3 एस.सी.सी. 36

3 (1998) 2 एस.सी.सी. 523

4 (1976) 1 एस.सी.सी. 599

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

- **आर. एस. मकाशी और अन्य बनाम आई. एम. मेनन और अन्य**[5]

23. **दयाराम आसानंद गुरसाहनी (सुप्रा)** के मामले में नौ वर्ष का विलंब हुआ। **बी०एस० बाजवा (सुप्रा)** के मामले में, एक दशक से अधिक की देरी हुई थी। **मालकॉम लॉरेंस सेसिल डी 'एस आउजा (सुप्रा)** में, देरी पन्द्रह वर्ष की की देरी हुई थी और **आर.एस. मकाशी (सुप्रा)** में आठ वर्ष की देरी की देरी हुई थी। इन सभी मामलों में, इस अदालत ने कहा है विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वर्ष 2010 के निर्णय **शिबा शंकर महापात्रा (सुप्रा)** में यह कह गया है कि वरिष्ठता सूची को चुनौती देने के लिए तीन से चार साल की अवधि उचित है और यदि इस अवधि के बाद चुनौती दिया जाता है तो विलम्ब का स्पष्टीकरण देना होगा।

24. उपरोक्त कानूनी प्रस्थापना के दृष्टिगत, अब हमें वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करना होगा, प्रथम, क्या तीन से चार साल से अधिक की देरी हुई थी और द्वितीय, यदि तीन से चार साल से अधिक की देरी हुई थी, तो क्या उसका संतोषजनक रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है।

25. अक्टूबर, 2001 में जब नियुक्ति पत्र जारी किए गए तो उसमें यह शर्त लगाई गई थी कि वरिष्ठता का निर्धारित बाद में नियमानुसार किया जाएगी। यह स्वीकृत है कि वर्ष 2006 से पूर्व, अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता सूची अधिसूचित नहीं की गई थी।मार्च, 2006 में, जब अस्थायी सूची प्रकाशित की गई थी, तो इसमें तीनों चयन सूचियों का उल्लेख नहीं किया गया था और न ही अंतिम वरिष्ठता सूची 05.09.2006 को प्रकाशन के समय इस तथ्य का उल्लेख किया गया था। बल्कि, इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि वरिष्ठता सूची मेरिट के आधार पर तैयार की गई थी। यह वास्तव में एक गलत

---

5 (1982) 1 एस.सी.सी. 379

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बयान था। वरिष्ठता सूची मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि एक के बाद एक तीन अलग–अलग चयन सूचियों की प्राप्ति के आधार पर तैयार की गई थी। चूंकि कृषि से संबंधित सूची पहली बार 28.09.1999 को प्राप्त हुई थी, कृषि शाखा के सभी चयनित उम्मीदवारों को समूह में शीर्ष पर रखा गया था, उसके बाद यांत्रिकी से संबंधित सूची 06.01.2000 को प्राप्त हुई, उन्हें कृषि शाखा के नीचे रखा गया था और अंत में, सिविल शाखासूची 07.11.2000 को प्राप्त हुई, उन्हें अंत में रखा गया था।

26. नियमावली, 1991 के नियम 5 और 8 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्ती के चयन के लिए एक सूची होगी। एक चयन के लिए तीन अलग–अलग सूचियाँ बनाना नियमावली, 1991 के नियम 5 और 8 में निहित प्रावधानों के विपरीत था। नियमावली, 2009 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठता वर्ष 1991 के नियमावली के अनुसार निर्धारित कर तैयार की जाएगी। नियमावली, 1991 के नियम 5, केवल सीधी भर्ती के माध्यम से किए गए चयन से संबंधित है जबकि नियम 8 तत्संबंधी स्थिति से संबंधित हैं जहां वरिष्ठता सूची को सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से तैयार किया जाना है। हालाँकि, इन दोनों नियमों में रेखांकित सिद्धांत समान हैं कि एक चयन के लिए एक सूची होनी चाहिए, जैसा कि नियम 8 (2) (ए) और नियम 1991 के नियम 5 से स्पष्ट है।

27. एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि वरिष्ठता सूची नियमावली, 1991 में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में तैयार की गई थी , तो वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप किया जा सकता है। नियुक्त करने वाला प्राधिकरण सांविधिक नियमों से बंधा होगा और सांविधिक नियमों का कोई भी उल्लंघन या उनकी अवहेलना वरिष्ठता सूची को दूषित कर देगी। यह मनमाना, नियमों के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

विरूद्ध और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। उपरोक्त का एकमात्र अपवाद वह है जहां अनुचित देरी को स्पष्ट नहीं किया गया है।

28. वर्तमान मामले में, यदि हम अपीलकर्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हैं, तो देरी कुछ महीने या एक वर्ष हो सकती है, तथापि, यदि हम निजी प्रत्यर्थियों के तर्कों को स्वीकार करते हैं, तो देरी पांच साल की हो सकती है। पहली आकस्मिकता में, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, दूसरी आकस्मिकता में, यदि अपीलकर्ता देरी को संतोषजनक ढंग से समझाने में सफल हो जाता है तो भी इस बाधा को दूर किया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में 05.09.2006 की अंतिम वरिष्ठता सूची जो हमें प्राप्त हुआ इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अलग–अलग शाखाओं की तीन अलग–अलग सूचियाँ थीं और वे अलग–अलग तारीखों पर प्राप्त हुई थीं। इसके विपरीत, इस आशय का विशिष्ट तौर से कथन किया गया था कि सूची योग्यता के आधार पर तैयार की गई थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम सूची के प्रकाशन के समय दिनांक 05.09.2006 को आयोग द्वारा तीन अलग–अलग तिथियों पर भेजी गई तीन अलग–अलग चयनित सूचियों के बारे में अपीलकर्ता को जानकारी थी।

29. यहां यह उल्लेख करना भी सार्थक होगा कि अपीलकर्ताओं के पास गए तीन अलग–अलग सूचियों के बारे में उस समय जानने का कोई अवसर नहीं था जब आयोग द्वारा उसको भेजा गया था अथवा उसके बाद किसी भी समय क्योकि कार्यालय आदेश दिनांक 08.10.2001 के तहत तीनों शाखा के सभी चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र एक साथ जारी किए गए थे। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि 05.09.2006 की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने वाले आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आयोग से तीन शाखाों की तीन अलग–अलग सूचियां प्राप्त हुई थीं और एक के बाद एक प्राप्त हुई थीं।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

30. दिनांक 29. 12. 2009 को अस्थायी सूची की अधिसूचना के ने के समय इस बात का उल्लेख कहीं भी यह नहीं किया गया था कि तीन अलग –अलग तिथियों पर तीन अलग–अलग सूचियाँ प्राप्त हुई थीं। जैसे कि यह अभिकथित नहीं किया जा सकता था कि उस स्तर पर भी अपीलकर्ताओं ने सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में आपत्तियां दर्ज नहीं की थीं। जब अंतिम वरिष्ठता सूची 05 मार्च, 2010 को प्रकाशित की गई और सूची को अंतिम रूप देने वाले आदेश में विभाग द्वारा यह उल्लेख किया गया कि तीन अलग–अलग तिथियों पर तीन अलग–अलग सूचियां प्राप्त हुई थीं और उसी क्रम में संयुक्त वरिष्ठता तैयार की गई थी। इस प्रकार, यह पहली बार है कि अपीलकर्ताओं को 05.03.2010 को अंतिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन पर त्रुटि के बारे में पता चला।

31. प्रत्यर्थी ऐसी कोई भी सामग्री दिखाने में सक्षम नहीं रहे हैं जो स्पष्ट रूप से संकेत कर सके कि अपीलकर्ताओं को तीन अलग–अलग सूचियों और इसके आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का ज्ञान था। अपील @ एस.एल.पी.(सी) संख्या 5435 वर्ष 2020 के कार्यालय आदेश दिनांकित 17.03.2006 अनुलग्नक–पी–30 का हवाला देकर प्रत्यर्थियों द्वारा एक तुच्छ प्रयास किया गया है, जो ऐसा आदेश है जिसमें अस्थायी वरिष्ठता सूची को अधिसूचित किया गया है। इसके प्रस्तर 3 में उल्लेख किया गया है कि आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं की चयन सूची प्राप्त हो गई है, वरिष्ठता उस अनुक्रम में दी गई है। पैरा 3 इस प्रकार हैः

> "3: जिस क्रम में आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं की चयन सूची प्राप्त हुई है, उसी क्रम में उसमें वर्णित वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठता दी गई है। ”

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

32. उपर्युक्त प्रस्तर को पढ़ने पर किसी भी शाखा के किसी भी विवरण, चयन के वर्ष, चयन किस विज्ञापन के आधार पर किया जा रहा है या उन तिथियों के बारे नहीं बताता है जिन तिथियों पर अलग–अलग सूचियां प्राप्त हुई थीं। यह एक सामान्य कथन है। प्रत्यर्थियों का यह तर्क प्रस्तर 5 में अभिलिखित तथ्यों और उसी कार्यालय के आदेश दिनांक 05.09.2006 के पैरा 25 में यथा अन्तर्विष्ट अंतिम वाक्य के दृष्टिगत पूरी तरह से बलहीन है। हम उसका विश्लेषण करेंगे किन्तु लेकिन इससे पहले उन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

> "5. श्री विनोद कुमार सिंह ने अपना नाम वरिष्ठता सूची में दर्ज करने और कृषि/मैकेनिकल/सिविल इंजीनियरिंग को 50:30:20 के अनुपात में वरिष्ठता देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त अनुपात केवल भर्ती के लिए है। आयोग से 6.01.2000, 27.01.2000 और 07.11.2000 को सूची भेजी गई थी। इसलिए, इस अनुक्रम में, योग्यता के आधार पर, वरिष्ठता का पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है। श्री विनय कुमार का नाम वरिष्ठता सूची में अपेक्षित स्थान पर दर्ज किया गया है क्योंकि उनका नाम उसमें दर्ज किया जाना शेष था और जैसा कि इस वरिष्ठता सूची में उनका नाम जोड़ने और दर्ज करने का अनुरोध किया गया था।
>
> xxx xxx xxx xxx
>
> 25. "लोक सेवा आयोग से चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता को उनके योग्यता क्रम में रखा गया है।"

33. पैरा 5 पढ़ने पर पुनः उल्लेख मिलता है कि तीन सूचियाँ आयोग को प्राप्त हुई थीं और उसी क्रम में योग्यता के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है। प्रस्तर 5 एक विनोद कुमार सिंह की आपत्ति से संबंधित था, जो वरिष्ठता सूची में अपना नाम दर्ज करने और 50:30:20 के अनुपात में वरिष्ठता प्रदान

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

करने का अनुरोध कर रहा था।सक्षम प्राधिकारी ने अनुरोध पर अनुमति प्रदान करते हुए पाया कि विनोद कुमार सिंह का नाम दर्ज किया जाना छूट गया था और तदनुसार इसे अपेक्षित स्थान पर समाविष्ट था। इसके अलावा, इस कार्यालय के आदेश के अंतिम वाक्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आयोग से चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता को उनकी योग्यता के क्रम में रखा गया है। यह तीन अलग–अलग शाखा की वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए किसी भी अलग योग्यता का उल्लेख नहीं करता है।

34. नियमावली 2009 आने के बाद वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किया गया था। दिनांक 29.12.2009 के कार्यालय आदेश द्वारा एक अस्थायी सूची अधिसूचित की गई थीइस कार्यालय आदेश में उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठता सूची नियमावली, 1991 के अनुसार तैयार की जानी है। इस अस्थायी सूची को अंतिम रूप देते समय, दिनांक 05.03.2010 के कार्यालय आदेश के तहत, हमें महेश चंद बागानी और महेश कुमार द्वारा एक की गई आपत्ति के निस्तारण का संदर्भ मिलता है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आयोग को भेजे गए मांग पत्र और अन्य संबंधित पहलुओं के स्पष्टीकरण की मांग की थी। इस कार्यालय आदेश के प्रस्तर 11 में, यह उल्लेख किया गया है कि आयोग ने क्रमशः 06.01.2000, 27.01.2000 और 07.11.2000 को कृषि, मैकेनिकल और सिविल शाखाकी तीन सूचियों को अलग–अलग भेज दिया था। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि यह उसी क्रम में था अर्थात् प्राप्ति की तारीख कि संयुक्त वरिष्ठता का मूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार, फिर से वरिष्ठता सूची को उसी क्रम में अंतिम रूप दिया गया, जैसा कि तीन सूचियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके बाद यह अभ्यावेदन किया गया कि वर्ष 2001 की सीधी भर्ती की वरिष्ठता सूची नियमों के विपरीत गलत तरीके से तैयार की गई थी, हालांकि, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई,

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तो राजीव नैन उपाध्याय और चौदह अन्य ने अक्टूबर 2012 में रिट याचिका संख्या 53123/2012 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसको दो से ढाई वर्ष की अवधि के भीतर दायर किया गया था और कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2010 के उपरान्त तक वे अपने अभ्यावेदन का अनुसरण कर रहे थे। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रथम आकस्मिकता या द्वितीय आकस्मिकता में, अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं पाया जा सकता है। खण्ड़पीठ ने यह मानने में त्रुटि की कि अपीलकर्ता द्वारा दर्ज किए गए दावे में देरी और कमी है।

35. विलम्ब के आधार पर वैधानिक प्रावधानों के विपरीत तैयार की गई वरिष्ठता सूची का बचाव करने की दलील कठिन प्रस्थापना होगी। इसके अतिरिक्त अपीलार्थियों यह निवेदन किया है कि कोई विलंब नहीं हुआ है क्योंकि तीन अलग–अलग सूचियों के बारे में उन्हें मार्च, 2010 में पता चला था, भले ही यह मान लिया गया था कि कुछ विलंब हुआ था और 2009–2010 में वैधानिक नियमों के प्रावधानों के विपरीत एक नई वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही थी, ऐसी वरिष्ठता सूची को पांच साल के विलंब के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है और इसका बचाव नहीं किया जा सकता है।

36. पक्षकारों द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि उच्च ग्रेड में जूनियर इंजीनियरों की अगली पदोन्नति सहायक अभियंता के पद पर है। सहायक अभियंता के शाखामें, सहायक अभियंताओं का केवल एक शाखासिवाय कोई अलग शाखानहीं है। यह कनिष्ठ अभियंताओं के शाखा की वरिष्ठता सूची है जो सहायक अभियंताओं के पद के लिए फीडर शाखाहोगा। वर्ष 2001 के चयन के कृषि शाखा के जूनियर इंजीनियर्स, मैकेनिकल और सिविल शाखाके एक ही चयन में चुने गए जूनियर इंजीनियर्स पर सीधे मार्च करेंगे, भले ही कुछ या कई कृषि शाखा जूनियर इंजीनियर्स की समग्र योग्यता हो सकती है। मैकेनिकल और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सिविल शाखा के कुछ या कई इंजीनियरों की तुलना में कम। नियुक्ति प्राधिकारी को आयोग द्वारा तैयार किए गए चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदर्शन या प्रवीणता के आधार पर एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार करनी चाहिए। अन्यथा यह कम योग्यता वाले उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार के रूप में पदोन्नति के लिए विचार के अधिकार विरूद्ध वंचित करने के समान होगा। पदोन्नति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार अब एक मौलिक अधिकार के रूप में विकसित किया गया है।

37. इस न्यायालय ने समय–समय पर पदोन्नति के लिए विचारित किये जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने पर बल दिया है, जैसा कि **न्यायमूर्ति के० रामास्वामी** ने **लिफ्ट इरिगेशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक और अन्य बनाम प्रभात किरण मोहंती और अन्य**[6] के मामले में रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में धारित किया था, जो निम्नवत हैः

> "4. पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी को सुसंगत नियमों के अनुसार केवल पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।इस परिप्रेक्ष्य में हमारे दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि निगम द्वारा तैयार ग्रेडेशन सूची प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पठित समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और प्रतयर्थी/रिट याचिकाकर्ता को अन्यायपूर्ण रूप से इससे वंचित किया गया था, यह स्पष्ट रूप से अनुचित है।

---

6 (1991) 2 एस.सी.सी.295

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

38. **अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य**[7] के मामले में संविधान पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) पर जोर देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति जो पात्रता और पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करता है लेकिन फिर भी पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है,तो उसके मूल अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा। माननीय न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव ने स्वयं ओर से बोलते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

> "21:अनुच्छेद 14 और 16 (1): पदोन्नति के लिए विचार किये जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है।
>
> 22: अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) निकटता से जुड़े हुए हैं।वे व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित हैं।अनुच्छेद 14 यह अपेक्षा करता है कि "राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा"अनुच्छेद 16 (1) एक सकारात्मक आदेश जारी करता है कि "राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।"इस न्यायालय द्वारा यह बार–बार कहा गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और इसकी जड़ें अनुच्छेद 14 से हैं।उक्त खंड अनुच्छेद 14 में व्यापकता को विनिर्दिष्ट करता है और संवैधानिक अर्थ में "राज्य के अधीन किसी पद पर रोजगार और नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता " की पहचान करता है।"रोजगार" शब्द व्यापक होने के कारण, इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह प्रारंभिक स्तर की भर्ती के स्तर से ऊपर के पदों पर पदोन्नति के पहलू को अपने दायरे में मानता है।अनुच्छेद 16(1) पदोन्नति के लिए उन प्रत्येक कर्मचारियों पर विचार करने का मौलिक अधिक प्रदान करता है जो कर्मचारी पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र है अथवा जिस कर्मचारी पर विचार किया जा सकता है। यहां समान अवसर का अर्थ है पदोन्नति के लिए

---

7 (1999) 7 एस.सी.सी. 209

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"विचार किए जाने" का अधिकार।यदि कोई व्यक्ति पात्रता और क्षेत्र के मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति के लिए उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जो उसका व्यक्तिगत अधिकार है। समान अवसर पर आधारित पदोन्नति और ऐसी पदोन्नति से जुड़ी वरिष्ठता अनुच्छेद 16 (1) के तहत मौलिक अधिकार के पहलू हैं।

xxxx xxxx xxxx

27. हमारी राय में, उक्त मत अशोक कुमार गुप्ता के मामले में व्यक्त कर जगदीश लाल और अन्य मामलों में इसका पालन किया गया था , यदि यह निर्धारित करने का इरादा है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती के सुसंगत नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए "माना" जाने के लिए कर्मचारियों को अधिकार की गारंटी (अर्थात वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर) केवल एक वैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है, हम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते है। हम पहले ही बता चुके हैं कि पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" के अधिकार के अर्थ में पदोन्नति के मामले में समान अवसर का अधिकार वास्तव में अनुच्छेद 16 (1) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है और इस पर कभी किसी अन्य में संदेह नहीं किया गया है।

39. इस न्यायालय ने **मेजर जनरल एच. एम. सिंह, वीएसएम बनाम भारत संघ और अन्य**[8] वाले मामले में एक बार पुनः कानूनी स्थिति, अर्थात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के तहत स्थापित मौलिक अधिकार के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार को दोहराया। अनुच्छेद 28 से सुसंगत निष्कर्ष नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः

8 (2014) 3 एस.सी.सी. 670

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"28. विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या अपीलकर्ता के दावे पर विचार न करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उसे प्राप्त मूल अधिकार का उल्लंघन होगा।पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर हां में होगा, इस शर्त के अधीन कि प्रत्यर्थी लेफ्टिनेंट–जनरल की रिक्ति को भरने के इच्छुक थे, जब यह 1–1–2007 को उपलब्ध हो गया था।प्रति–शपथपत्र में दर्शित तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि प्रत्यर्थीगण वास्तव में उक्त रिक्ति को भरने के इच्छुक थे।इस मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यदि अपीलकर्ता सबसे वरिष्ठ सेवारत मेजर–जनरल विचारित किये जाने के योग्य था (जो वह निस्संदेह था), उसके पास निश्चित रूप से उपरोक्त रिक्ति के सापेक्ष उपयुक्त पाए जाने पर विचारित कर पदोन्नति किये जाने का मौलिक अधिकार था। ऐसा न होने पर, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के अपने मौलिक अधिकार और विधि के समान संरक्षण से वंचित हो जाएगा।हमारा विचार है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित मौलिक अधिकार का लाभ प्रदान करने के लिए उसे दो अवसरों पर सबसे पहले 29–2–2008 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, और उसके बाद, 30–5–2008 के एक और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सेवा में विस्तार की अनुमति दी गई थी, ।उपरोक्त आदेश स्पष्ट रूप से दर्शित है कि सेवा में पूर्वोक्त विस्तार अपीलकर्ता को तीन महीने (और एक महीने की आगे की अवधि के लिए), या एसीसी की मंजूरी तक, जो भी पहले हो, के लिए दिया गया था।पूर्वोक्त आदेशों के अनुसार, प्रत्यर्थी अपीलकर्ता के साथ न्यायोचित व्यवहार करना चाहते थे, ताकि उसे लेफ्टिनेंट–जनरल के पद पर पदोन्नति का सम्मान प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके (यदि चयन बोर्ड द्वारा उनके पक्ष में की गई सिफारिश को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, पुष्टि की जाती है)।अपीलकर्ता को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए सम्यक विचार करने से वंचित करने में अधिकारियों की कार्रवाई से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता। प्रत्यर्थियों के हाथों ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से मनमानी होगी।"

40. यदि वरिष्ठता सूची को बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, तो कृषि शाखा के कनिष्ठ अभियंताओं की तुलना में यांत्रिक और सिविल शाखाओं में अधिक मेधावी इंजीनियरों को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे और वास्तव में उनका अधिकार उसी चयन में चयनित कृषि धारा के सभी कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नति प्रदान किए जाने के बाद ही प्राप्त होगा। इन कारणों से भी प्रश्नगत वरिष्ठता सूची जानी चाहिए।

41. अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दूसरा आधार यह था कि उन्होंने सभी प्रभावित जूनियर इंजीनियरों को संयोजित नहीं किया था। उक्त प्रस्थापना के लिए, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने **रंजन कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**[9] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलम्ब लिया है। उपरोक्त मामला चयन और नियुक्ति के संबंध में इस आधार पर था कि यह बिना किसी लिखित परीक्षा के केवल साक्षात्कार के आधार पर किया गया था।उच्च न्यायालय ने इस तरह के चयन और नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, यहां तक कि उन नियुक्तियों को भी रद्द क दिया जो इस याचिका में पक्षकार नहीं थे। यह इन परिस्थितियों में था कि इस न्यायालय ने माना कि उन नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जा सकता जो पक्षकार नहीं थे। स्पष्ट है कि उक्त मामले के तथ्य भिन्न हैं।

42. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने **प्रबोध वर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[10] वाले मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी

---

9 (2014) 16 एस.सी.सी. 187

10 (1984) 4 एस.सी.सी. 251

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अवलम्ब लिया। यह मामला फिर से नियुक्तियों को चुनौती देने से संबंधित है और उक्त मामले में प्रतिनिधि हैसियत से भी कोई अभियोजन नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने कहा कि आवश्यक पक्षों असंयोजन कारण याचिका खारिज किये जाने के योग्य थी। वास्तव में, यह निर्णय अपीलकर्ताओं की मदद करता है । इसका पैरा 50 नीचे पुन: उद्धृत है:

> "50 (1): उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी रिट याचिका की सुनवाई और निपटारा अपने समक्ष उपस्थित व्यक्तियों को सुने बिना नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति इस निर्णय से प्रभावित होगे, अथवा प्रत्यर्थियों में से कुछ प्रतिनिधि की क्षमता में न्यायालय के समक्ष उपस्तित हों यदि उनकी संख्या उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने के लिए बहुत बड़ी है, और, यदि याचिकाकर्ता उनके साथ शामिल होने से इनकार करते हैं, तो उच्च न्यायालय को आवश्यक पक्षों को शामिल न करने की याचिका को खारिज कर देना चाहिए।"

43. खण्ड पीठ ने उपर्युक्त प्रस्थापना के लिए जिस तीसरे मामले का अवलम्ब लिया गया वह **उत्तरांचल राज्य बनाम मदन मोहन जोशी और अन्य**[11] था जहां किसी भी प्रभावित पक्षकार को प्रतिनिधिक क्षमता मे भी संयोजित नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने मूल याचियों को कुछ प्रभावित शिक्षकों को अपने प्रतिनिधत्व क्षमता संयोजित करने के लिए आवेदन देने की स्वतंत्रा देते हुए हुए इस मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया।

44. उपरोक्त प्रस्ताव पर खण्ड़पीठ द्वारा **अवलम्बित चौथा मामला इंदु शेखर सिंह और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य**[12] था। इस मामले में भी प्रभावित

---

11 (2008) 6 एस.सी.सी. 797

12 (2006) 8 एस.सी.सी. 129

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पक्षकारों को संयोजित नहीं किया गया था और इस न्यायालय ने **प्रबोध वर्मा (पूर्वोक्त)** में इस न्यायालय के निर्णय के निर्णय का अवलम्ब लिया गया था।

45. **त्रिदीप कुमार ठींगर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[13] के मामले में **न्यायमूर्ति ठक्कर** ने यह अभिनिर्धारित किया कि मामला आवश्यक पक्षकारों की कुसंयोजन की परिधि के भीतर आता है क्योंकि जिन 66 उम्मीदवारों के विरुद्ध शिकायत की गई थी उनमें विरूद्ध कोई भी पक्षकार नहीं था।

यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि कुछ प्रत्यर्थी को प्रतिनिधि क्षमता में शामिल किया जाना चाहिए था। प्रस्तर 41 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "41. जहां तक 66 अभ्यर्थियों के संरक्षण के संबंध है तो अभिलेखों से स्पष्ट है कि उनका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था और 1998–1999 में उनका चयन कर नियुक्ति प्रदान कर दिया गया था। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया था उन्होंने अपनी समस्या को उठाकर ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की कि उन्हें (चयनित उम्मीदवारों) मूल आवेदन में प्रत्यर्थी के रूप में ज्वाइन कराया जाना चाहिए, जबकि नहीं किया गया था। किसी भी मामले में, उनमें से कुछ को "प्रतिनिधि क्षमता" में प्रत्यर्थियों के रूप में रखा जाना चाहिए था। वह भी नहीं किया गया। इसलिए, ट्रिब्यूनल यह मानने में पूरी तरह से सही था कि चयनित और नियुक्त उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना, उनके चयन को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।"

46. **मुकुल कुमार त्यागी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[14] के हालिया मामले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि जिन उम्मीदवारों के विरूद्ध मामला चल रहा है उनकी की लंबी सूची मौजूद है तो

---

13 (2009) 1 एस.सी.सी. 768

14 (2020) 4 एस.सी.सी. 86

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उनमे से प्रत्येक उम्मीदवार को पक्षकार बनाना अनावश्यक और अप्रासंगिक हो जाता है। यदि कुछ उम्मीदवारों को पक्षकार बनाया जाता है तो यह कहा जाएगा कि वे बाकी उम्मीदवारों के हितों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निर्णय के अनुच्छेद 75 का सुसंगत भाग निमनवत है:

> 75. आगे हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि खण्ड़पीठ ने रिट याचिका में सभी चयनित उम्मीदवारों के संयोजित न किये जाने संबंधी से संबंधित तर्क पर विचार किया लेकिन खण्ड़पीठ ने उपरोक्त तर्क पर अपना निर्णय आधारित नहीं किया है। जब बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की चयन सूची में संयोजित किया जाना मनमाना या अवैध प्रक्रिया के आधार पर होता है, तो पीड़ित पक्ष शिकायत कर सकते हैं और ऐसे मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को पक्षकार बनाने की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, जब चयन सूची में 2211 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, तो चुनौती की प्रकृति को देखते हुए प्रत्येक उम्मीदवार को पक्षकार बनाना अनावश्यक हो जाता है, जिसका रिट याचिका में उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, कुछ चयनित उम्मीदवारों को प्रतिनिधि की क्षमता में रिट याचिका में भी संयोजित किया गया था।

47. वर्तमान मामला वरिष्ठता सूची तैयार करने से संबंधित है और वह भी ऐसी स्थिति में जब अपीलकर्ताओं (मूल रिट याचिकाकर्ताओं) को उनके द्वारा प्राप्त अंकों या आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उनकी दक्षता का भी पता नहीं था। इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वरिष्ठता सूची तैयार करने के नियमों का पालन नहीं किया गया था। इस रिट याचिका में 18 निजी प्रत्यर्थी थे। मूल याचिकाकर्ता यह नहीं जान सकते थे कि सभी कौन प्रभावित होंगे।इस प्रकार उन्होंने मोटे तौर पर 18 ऐसे कनिष्ठ अभियंताओं को पक्षकार बनाया था जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते थे। सेवा न्यायशास्त्र, समय और फिर से संबंधित मामलों में यह माना गया है कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संयोजितकरना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि ऐसे प्रभावित कर्मचारियों के एक वर्ग को संयोजितकिया जाता है, तो सभी के हित का प्रतिनिधित्व और संरक्षण किया जाता है। उपरोक्त के दृष्टिगत, यह सुस्थापित है कि कि प्रभावित कर्मचारियों में से कुछ का पक्षकारों के योजन के सिद्धान्त का पर्याप्त अनुपालन होगा और वे अपनी प्रतिनिधि क्षमता में सभी प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। सभी पक्षकारों के असंयोजन को घातक नहीं माना जा सकता है।

48. खण्ड़पीठ ने एक ऐसे मुद्दे पर भी विचार किया है जो हमारे अनुसार पूरी तरह से अप्रासंगिक और वर्तमान अपीलों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रतिकूल था। खण्ड़पीठ के फैसले के प्रस्तर 45 में एक ऐसे मुद्दे का संदर्भ है जहां कोई पक्षकार चयन/नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का परिकलित अवसर प्राप्त करता है और बाद में असफल होने के बाद मुकर जाता है, जो विबंध के सिद्धांत से प्रभावित होगा। उक्त प्रस्ताव के लिए, खण्ड़पीठ ने निर्णय के पैराग्राफ 46,47,48 और 49 में विस्तृत चर्चा की और कई निर्णयन विधियों का अवलम्ब लिया। हमारे विचार में, यह मुद्दा बिल्कुल प्रासंगिक नहीं था।वर्तमान मामले में उक्त मुद्दा नहीं उठता है । अपीलकर्ताओं/मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया को कभी चुनौती नहीं दी थी। केवल वरिष्ठता सूची तैयार करने को चुनौती दी गई थी। ऐसे में खंडपीठ की यह चर्चा पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

49. खंडपीठ ने आगे अनुच्छेद 51 में सामान्य और अस्पष्ट तरीके से अभिलिखित किया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जिन प्राधिकारियों का अवलम्ब लिया गया था वह तथ्य से संबंधित अलग परिस्थिति थी जो लागू नहीं थी। खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अवलम्बित निर्णयों पर विचार नहीं किया, बल्कि केवल यह टिप्पणी की। हमारी राय यह है कि विद्वान एकल

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्यायाधीश द्वारा जिन प्राधिकारियों का अवलम्ब लिया गया था, प्रासंगिक था और सही तरीके से लागू किया गया था।

50. इसके अलावा, खंडपीठ ने पैरा 51, 52, 53 में यह कहते हुए कार्यवाही की गई कि 11 वर्ष का विलम्ब हुआ है, 11 वर्ष के विलम्ब की गणना का आधार यह था कि 2006 की वरिष्ठता सूची को वर्ष 2017 में अपीलकर्ताओं द्वारा संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई थी और इसलिए 11 वर्ष का विलम्ब हुआ था। खण्ड़पीठ द्वारा इस चर्चा को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है। पहली वरिष्ठता सूची 2006 में तैयार की गई थी। यह खुलासा नहीं किया गया था कि तीन अलग–अलग सूचियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से व्यवहार करके वरिष्ठता सूची कैसे तैयार की गई है, लेकिन तीन सूचियों की संयुक्त योग्यता के परिणामस्वरूप नहीं। अपीलकर्ताओं को इस त्रुटि का पता 2010 में ही चल गया और इसके तुरंत बाद उन्होंने 2010 की वरिष्ठता सूची को चुनौती दी। यहां तक कि अगर उन्होंने 2006 की वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दी, तो 2010 की वरिष्ठता सूची की सदैव पुनरीक्षा, समीक्षा और नए सिरे से तैयार की जा सकता है, अगर इसे रद्द किया जाता। अपीलकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं हो सकता था, भले ही उन्होंने 2006 की वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दिया है।

51. एकल चयन के संबंध में पैराग्राफ 54, 55, 56 में जो तर्क दिया है वह भी नियमावली, 1991 सपठित नियमावली 2009 के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है।

52. अंत में, खण्ड़पीठ के फैसले का पैराग्राफ 57 जो नियमावली, 1991 के नियम 5 और 8 से संबंधित है, हम पुनः केवल यह कह सकते हैं कि, क्या वह नियम 5 या नियम 8 लागू था जो लागू था, किसी चयन की सीधी भर्तियों

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पारस्परिक वरिष्ठता उनके प्रदर्शन और आयोग या समिति ,यथास्थिति, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सम्मिलित सूची होनी चाहिए। सच है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने क्रियात्मक भाग में उल्लेख किया है कि नियम 5 के अनुसार एक नई वरिष्ठता सूची तैयार किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से नियम 8 के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया जो इस निर्णय को दूषित नहीं करेगा क्योंकि सीधी भर्ती में वरिष्ठता सूची को तैयार करने आधार दोनों नियमावली में एक ही था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच कोई अंतर अंतर नहीं है।

53. ऊपरोक्त कारणों पर विचार करने के उपरान्त हम पाते हैं कि खण्डपीठ ने अपील को मंजूर करने और रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि कारित किया है, विद्वान एकल न्यायाधीश अंतिम वरिष्ठता सूची को अपास्त करने और नियमावली, 1991 के नियम 5 या नियम 8 अनुसार नई वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देश देने के अपने विचार में सही था।

54. तदनुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है। उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ के आक्षेपित निर्णय दिनांकित 04.12.2019 अपास्त किया जाता है और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 14.05.2019 बरकरार रखा जाता है।

55. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

56. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

न्यायामूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़

.....

न्यायामूर्ति विक्रम नाथ

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

.....

न्यायामूर्ति बी. वी. नागरत्न

.....

नई दिल्ली

08 दिसंबर 2021

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"